न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/76

1. गैंदी देवी पत्नि भौरिया
2. बसन्ती देवी पुत्री भौरिया
3. लालाराम दत्तक पुत्र भौरिया
   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम डगलाव, तहसील दौसा, जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. लाडा देवी पत्नि गोवर्धन जाति मीना, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 25.05.2023 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी लाडा देवी बनाम राज0 सरकार मुकदमा नंबर 44/2022 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—17.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.05.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 27.06.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम डगलाव, तहसील दौसा, जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना—पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो, तो प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम डगलाव, तहसील दौसा के अनुभवी पटवारियों /भू—अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाप्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 25.05.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट गैंदी देवी पत्नि भौरिया ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 25.05.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा का आदेश विधि प्रक्रिया एवम् न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट्स आराजी खसरा नम्बर 34 लगा0 36 कुल किता 3 कुल रकबा 2.2900 है० वाके ग्राम डगलाव तहसील दौसा, जिला दौसा के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। अपीलांट्स के हक हिस्से व खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी के लगती हुई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लाडा देवी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 0.22 है० स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की नियत में बेईमानी है तथा वे अपीलांट्स की भूमि को हडपने पर आमादा है एवम् इसी उद्देश्य की पूर्ति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गलत सीमा विवाद बताकर बिना अपीलांट्स खातेदारान को पक्षकारान बनाये बगैर गुपचुप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने बाबत् धारा 128 लै०रे०एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर उसे गुपचुप में स्वंय के हक में लोक अदालत में निर्णित करवा लिया तथा उक्त निर्णय की आड में अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने को प्रयासरत है। कानूनन पत्थरगढी की कार्यवाही के लिए पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है जिसकी अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.05.2023 पारित किया गया है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अधीनस्य न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 25.05.2023 को फरमाते हुए अपने निर्णय में तहसीलदार जी दौसा को निर्देशित किया है कि "यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 0.220 है० वाके ग्राम डगलाव, तहसील दौसा के अनुभवी पटवारियों /भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्यरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे।"

यहां यह निवेदन करना आवश्यक होगा कि तहसीलदार दौसा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांट्स को जो कि समीपवर्ती खातेदार काश्तकार है को किसी भी प्रकार की कोई लिखित या मौखिक सूचना नही दी है और बिना सूचना दिये ही अवैधनिक रूप से मौके पर दिनांक 13.05.2024 को पत्थरगढी कार्यवाही गुपचुप में अपीलांट्स समीपवर्ती खातेदार काश्तकारों की अनुपस्थिति में किया जाकर अपीलांट्स समीपवर्ती खातेदारों की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी सूरत में निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 34 लगा0 36 कुल किता 3 कुल रकबा 2.2900 है० वाके ग्राम डगलाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लाडा देवी की भूमि खसरा नम्बर 31 के लगती हुई है जिसने अपीलांट्स पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाए बगैर ही उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर अपीलांट्स के पीठ पीछे पोशीदा रूप से अपने प्रार्थना पत्र को निर्णित करवाया है और अब उक्त निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लाडा देवी अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय राजस्व लोक अदालत में पारित फरमाया है। न्याय आपके द्वार शिवर में प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण हो सकता था या दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण को मैरिट्स पर निर्णित किया जा सकता था। माननीय राजस्व मण्डल ने मैरिट्स पर निर्णय पारित करने में सभी पीठासीन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर मना कर रखा था लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र आंकडे पूर्ण करने के लिए उक्त आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। सीमाज्ञान पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य पर गौर नही कर मिन अपीलांट समीपवर्ती खातेदारान को सुनवाई व सबूत का अवसर न देकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार/पटवारी हल्का से साज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.05.2023 की आड में अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 34 पर दिनांक 25.06.2024 को गलत प्रकार से पत्थर गाडने लग गयी जिस पर अपीलांट ने मना किया तो नही मानी और झगडा करने लग गयी जिस पर तलाश कर नकल हेतु दिनांक 25.06.2024 को आवेदन किया जिस पर न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपजिला कलेक्टर दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 44/2022 उनवानी लाडा देवी बनाम राज० सरकार में पारित निर्णय की जानकारी हुई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के यहां निर्णय दिनांक 25.05.2023 की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अपीलांट को 26.06.2024 को नकल प्राप्त हुई जिसके पश्चात कानूनी सलाह प्राप्त कर उक्त अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है यदि फिर भी उक्त अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांट्स एग्रीव्ड परसन है, तथा खसरा नम्बर 31 के पडौसी खातेदार है, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा जानबूझकर पक्षकार नही बनाया एवम् निर्णय दिनांक 25.05.2023 अपीलांट के पीठ पीछे पोशीदा रूप से गुपचुप में पारित करवाया है, जिससे अपीलांट पीडित पक्षकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्णय दिनांक 25.05.2023 की आड में अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है ऐसी सूरत में अपीलांट्स को धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है जिस हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया गया है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियादं अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.05.2023 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 25.05.2023 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने लिखित बहस पेश कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेंट. लाडा देवी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश कर निवेदन किया गया था कि ग्राम डगलाव, तहसील दौसा में आराजी भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 0.22 हैक्टेयर स्थित है, जिसका प्रार्थीया खातेदार काबिज काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार प्रार्थीया का नाम अमल दरामद है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 0.22 हैक्टेयर का सीमाज्ञान विधिवत रूप से दिनांक 12.08.2020 को करा लिया। इसके बाद भी सीमा संबंधी विवाद रहता है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहती है ताकि सीमा संबंधी कोई विवाद ना हो। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार, तहसील दौसा, जिला दौसा को आदेश फरमाया जावे कि वे ग्राम डगलाव, तहसील दौसा में आराजी भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से वास्तविक पैमाईश कर उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ पत्थर गाढ कर पत्थरगढ के निशानात कायम करें ताकि भविष्य में सीमा संबंधित कोई विवाद ना हो। तदोपरान्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत गणेशपुरा में लोक अदालत की भावना से तलब की गयी। तहसीलदार, दौसा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का दिनांक 12.08.2020 को सीमाज्ञान करवाया गया है। उक्त खसरा नंबर पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान पेचीदा है। उक्त भूमि की पत्थरगढी राजस्व टीम मय पुलिस जाप्ता के किया जाना संभव है।

तदोपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात दिनांक 25.05.2023 को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू राजस्व अधिनियम स्वीकार फरमाते हुये, तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया गया कि यदि अन्य किसी न्यायालय को स्थगन ना हो तो प्रार्थीया की भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 0.22

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्टेयर ग्राम डगलाव, तहसील दौसा के अनुभवी पटवारियों/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर, सीमाज्ञान करवा कर, पत्थरगढी करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों को सुन कर तथा अप्रार्थी राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार की रिपोर्ट तलब कर तथा उस पर विचार कर, खुले न्यायालय में गुणावगुण के आधार पर विधिवत रूप से निर्णय पारित किया है, अपीलांट ने रेस्पोडेंट से आवरत द्वेषता के चलते, मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से उपरोक्त उनवानी अपील पेश की है क्योंकि रेस्पोडेंट अपनी उक्त आराजी भूमि का एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट लालाराम के, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.08.2020 पर हस्ताक्षर है तथा लालाराम दत्तक पुत्र भौरया की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान किया गया था जिससे समस्त खातेदार संतुष्ट थे, परन्तु लालाराम के द्वारा बदनियती पूर्ण आशय से उक्त उनवानी अपील प्रस्तुत की गयी है, जो सारहीन होने के कारण तथा अपील में कोई विधिक व तथ्यात्मक बिन्दु व आधार नहीं होने के कारण, उक्त अपील को निरस्त फरमाया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है। अपीलांट गैंदी देवी, बसन्ती देवी व लालाराम के द्वारा दिनांक 10.06.2024 को तहसीलदार, दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 34, 35, 36 की सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया गया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, राजस्व कर्मचारियों द्वारा तहसीलदार, दौसा के आदेशानुसार दिनांक 24.06.2024 को मौके पर जाकर खसरा नंबर 34, 35 व 36 स्थित ग्राम डगलाव, पटवार हल्का सूरजपुरा, तहसील दौसा, जिला दौसा का विधिवत सीमाज्ञान किया गया था तथा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी, जिस पर अपीलांट लालाराम, गैंदी देवी, बसन्ती देवी ने अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 12.08.2020 एवं मौका रिपोर्ट 24.06.2024 का अवलोकन करने मात्र से यह स्पष्ट है कि मौके पर जो सीमाज्ञान किया गया है, वह सही था तथा अपीलांट लालाराम द्वारा उक्त सीमाज्ञान दिनांक 12.08.2020 से संतुष्ट होकर उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने से भी स्थिति स्पष्ट हो गयी है कि मौके पर दिनांक 12.08.2020 को जो सीमाज्ञान किया गया था, वह सही एवं विधिसम्मत था तथा उसी सीमाज्ञान के अनुसार दिनांक 13.05.2024 को मौके पर खसरा नंबर 31 की पत्थरगढी की गयी थी, जो सही व विधि सम्मत थी।

अपीलांट के द्वारा अपनी उक्त अपील मीमों में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उसे उक्त पत्थरगढी किए जाने से क्या नुकसान हुआ है तथा उसके हित किस प्रकार से प्रभावित हुये है ? अपीलांट के द्वारा अपनी अपील मीमों के आधार की मद संख्या 02 में अंकित किया है कि रेस्पोडेंट लाडा देवी अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत हो? यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये है तथा उनके द्वारा गलत रूप से मिथ्या आरोप लगाये जा रहे है कि रेस्पोडेंट लाडा देवी अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने हेतु उतारू हो, बल्कि रेस्पोडेंट लाडा देवी कानून में विश्वास रखने वाली महिला है एवं उसके द्वारा दिनांक 12.08.2020 को विधिवत सीमाज्ञान अपनी उक्त आराजी भूमि खसरा नंबर 31 का करवाया गया था, जिससे अपीलांट भी संतुष्ट थे, परन्तु अपीलांट के मन में प्रारम्भ से ही बदनियती व बेईमानी रही है, जिसके चलते उनके द्वारा रेस्पोडेंट लाडा देवी की आराजी भूमि में दखलंदाजी की जा रही थी तथा रेस्पोडेंट लाडा देवी को काश्त करने में बाधा व मजाहमत उत्पन्न की जा रही थी, जिसके चलते परेशान होकर रेस्पोडेंट लाडा देवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आराजी भूमि के चारों ओर पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई एवं कार्यवाही करते हुये पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये गये थे, जिसकी पालना में मौके पर दिनांक 13.05.2024 को विधिवत रूप से नायब तहसीलदार, दौसा, हल्का पटवारी सूरजपुरा, हल्का पटवारी हल्का भांखरी, आई एल आर, सुरजपुरा व भांखरी कुल सात राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों की टीम द्वारा पुलिस जाप्ता के साथ मौके पर पत्थरगढी विधि अनुसार की गयी थी तथा मौके पर उक्त सीमाज्ञान दिनांक 12.08.2020 व पत्थरगढी दिनांक 13.05.2024 में कायम की गयी पत्थरगढी के अनुसार मौके पर चारों ओर पुख्ता दीवार व कमरा बना कर, मौके पर उक्त आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करती आ रही है। अपीलांट बिना किसी आधार पर गलत रूप से उक्त आराजी भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 0.22

अतिरिक्त समागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्टेयर को विवादित बनाये रखने हेतु उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जो सारहीन होने से कानूनन चलने योग्य नहीं है एवं खारिज किए जाने योग्य है।

अपीलांट का यह कहना भी गलत है कि दिनांक 13.05.2024 को वे मौके पर उपस्थित ना हो, बल्कि अपीलांट की उपस्थिति में ही मौके पर राजस्व टीम द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही की गयी थी, परन्तु अपीलांट ने बदनियती पूर्वक उक्त रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित किया गया था, परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त अपील में गलत रूप से यह अंकित किया गया है कि लोक अदालत में उक्त निर्णय दिनांक 25.05.2023 पारित किया गया हो। उक्त निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत गणेशपुरा में पारित किया गया है, जो कि सक्षम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेरिट्स पर तहसीलदार, दौसा जो पक्षकार थे, को सुना जाकर खुले न्यायालय में निर्णय सुना कर, पारित किया गया था, जो सही व विधि सम्मत होने के कारण उक्त निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अपीलांट के द्वारा बदनियती पूर्वक रेस्पोडेंट लाडा देवी के द्वारा अपनी आराजी भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 0.22 हैक्टेयर के चारों ओर पुख्ता दीवार करवा रखी है, जिसे नुकसान पहुंचाने की नियत से अपीलांट्स दिनांक 17.02.2025 को गुण्डे व असामाजिक तत्वों को बुला कर, आपस में एक राय होकर मौके पर आये तथा रेस्पोडेंट लाडा देवी की आराजी भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 0.22 हैक्टेयर की बाउण्ड्रीवाल व कमरे की दीवारों को तोडफोड कर, बेजा नुकसान पहुंचाया, जिस पर रेस्पोडेंट लाडा देवी ने पुलिस थाना सदर, दौसा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0086/2025 दिनांक 21.02.2025 को नामजद दर्ज करवाई, जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा मौके पर खसरा नंबर 31 रकबा 0.22 हैक्टेयर का सीमाज्ञान राजस्व कर्मचारियों से दिनांक 07.04.2025 को करवायी गयी थी, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान आरोपियान के विरूद्ध आरोप पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से उपस्थित नहीं हुये है तथा रेस्पोडेन्ट लाडा देवी की आराजी भूमि खसरा नंबर 31 को विवादित कर, औन पौने दामों में खरीद करना चाहते है, जिसका अपीलांट को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील 01 वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात, मियाद बाहर जाकर प्रस्तुत की गयी है तथा अपनी अपील मीमों तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण भी अंकित नहीं किया गया है, जबकि अपीलांट को पत्थरगढी आदेश की जानकारी शुरू से ही बखूबी रूप से रही है, परन्तु अपीलांट द्वारा तथ्य छिपाकर, उक्त अपील मियाद बाहर जाकर, मात्र रेस्पोडेंट लाडा देवी को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत की है, जो अपील मीमों मियाद बाहर होने के कारण सरसरी तौर पर ही निरस्तनीय है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.06.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने के संबंध में विवाद है। अपीलांट गैंदी देवी, बसन्ती देवी व लालाराम के द्वारा दिनांक 10.06.2024 को तहसीलदार, दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 34, 35, 36 की सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया गया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, राजस्व कर्मचारियों द्वारा तहसीलदार, दौसा के आदेशानुसार दिनांक 24.06.2024 को मौके पर जाकर खसरा नंबर 34, 35 व 36 स्थित ग्राम डगलाव, पटवार हल्का सूरजपुरा, तहसील दौसा, जिला दौसा का विधिवत सीमाज्ञान किया गया था तथा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी, जिस पर अपीलांट लालाराम, गैंदी देवी, बसन्ती देवी ने अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 12.08.2020 एवं मौका रिपोर्ट 24.06.2024 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मौके पर जो सीमाज्ञान किया गया है, वह सही था तथा अपीलांट लालाराम द्वारा उक्त सीमाज्ञान दिनांक 06.08.2020 से संतुष्ट होकर उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी लाडा देवी बनाम राजस्थान सरकार बाबत् अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो, तो प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम डगलाव, तहसील दौसा के अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाप्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 पारित किये गये हैं। रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2023 पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 13.05.2024 को मौके पर खसरा नंबर 31 की पत्थरगढी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2023 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2023 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर